XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–17/2011

1. मो0 जैनुउद्दीन, पिता–स्व0 शेख अलाउद्दीन
2. मो0 सरफुउद्दीन, पिता–स्व0 शेख अलाउद्दीन
3. बीबी दिलवारी, पिता–स्व0 शेख अलाउद्दीन, पति–शेख महीरूउद्दीन
4. बीबी नाथिया उर्फ कुरेशा, पिता–स्व0 शेख अलाउद्दीन, पति–स्व0 तैयब

सभी का साकिन–एकौहुवा, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ .... आवेदकगण

बनाम

1. राज्य
2. बोझाई ऋषि उर्फ ओझाई ऋषि, पिता–स्व0 पैरू ऋषि, साकिन–एकौहुवा, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ..............................

विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–63/1990–91 में दिनांक 22.12.1990 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक के पिता स्व0 शेख अलाउद्दीन, मौजा–एकौहुवा, चक खाता संख्या–29, चक खेसरा संख्या–83, रकवा 03 डिसमिल जमीन के वास्तविक भूस्वामी थे। भूस्वामी के मृत्यु के बाद आवेदकगण उपरोक्त प्रश्नगत जमीन के कानूनी वारिस हुए और प्रश्नगत जमीन पर आवेदकगण का दखल व कब्जा है। वर्ष 2010 में मालगुजारी रसीद कटाने के कम में आवेदक को हल्का कर्मचारी से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत जमीन का वासगीत पर्चा वासगीत पर्चा विपक्षी के नाम बन गया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी का कभी भी प्रश्नगत जमीन से कोई संबंध नहीं रहा है। बल्कि विपक्षी जिस जमीन पर वर्षो से सपरिवार रह रहा है, वह जमीन मौजा–एकौहुवा, खाता संख्या–274, खेसरा संख्या–136, रकवा 03 डिसमिल जमीन का पर्चा विपक्षी के नाम बन्दोवस्ती वाद संख्या–6/2009–10 द्वारा निर्गत हो चुका है और विपक्षी उसी जमीन पर वर्त्तमान में भी रह रहे है। इस प्रकार अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने बिना जाँच किये आवेदक के प्रश्नगत जमीन का पर्चा निर्गत कर दिया। अतः आवेदक निवेदन करता है कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि इस वाद के प्रश्नगत जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में विपक्षी बन्दोवस्ती वाद संख्या–6/2009–10 द्वारा निर्गत मौजा–एकौहुवा, खाता संख्या–274, खेसरा संख्या–136, रकवा 03 डिसमिल जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। विपक्षी ने कभी भी प्रश्नगत जमीन का पर्चा के लिये आवेदन नहीं दिया हैं।

दिनांक 09.12.2011 को आवेदक को सुना गया। विपक्षी अनुपस्थित थे। दिनांक

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

08.08.2011 को विपक्षी अनुपस्थित रहने के कारण उनपर कॉस्ट भी लगाया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। इसके बाबजूद भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिये निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द करने की मांग किया गया।

पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा बिना स्थल जाँच किये प्रश्नगत जमीन का पर्चा निर्गत कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर विपक्षी का दखल–कब्जा नहीं है एवं उनके द्वारा पर्चा के लिये आवेदन भी नहीं दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–63/1990–91 में दिनांक 22.12.1990 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ से अनुरोध किया जाता है कि किस मामले में आवेदक के बिना आवेदन के ही गलत ढ़ंग से वासगीत पर्चा निर्गत करने संबंधी जाँच कर दोषी राजस्व कर्मी एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाय। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ